

एस डी ओ/ रीडर

६

प्राधान्य के साथ कोटेशन है। यह एक ही जगह पर
जमा है। कोटेशन प्रदान है सामान्य प्राधान्य के साथ।
प्राधान्य के साथ कोटेशन प्रदान है जो है नया
एक प्राधान्य के साथ कोटेशन है।

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

पीठासीन अधिकारी श्री विजय लाल शर्मा RAS पूरीवपन
इंस्पेक्टर उपनाम नवेगा आधिकारी

दावा बाबत:- 1521/2-06
मुकदमा नम्बर:- 205/17
निर्णय दिनांक:- 26-6-2018

वादी की ओर से अज्ञात की व प्रतिवादी की ओर से
की उपस्थिति में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम
निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - विवादेन आशरी 205 ख.अं.

1521/2-06 बीचा वाक 205 पूरीवपन हिलोण कोटकासिम में वादी का
वहन के लिए पेश किया गया था, प्रतिवादी वगैरे को पकड़ लिया गया था कि वादी की
आशरी से कोई भी गरी वगैरे आ दो आशरी में कोई भी आशरी वादी उपखण्ड आशरी
को पकड़ लिया गया। अज्ञात व पकड़ने के लिए उपायों से कामयाब रही।

दोनों पक्षकारण अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

.....
(विजय लाल शर्मा RAS)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

बाद के खर्चे